

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, फुलेरा

क्रमांक :—513

दिनांक :— 14.05.2025

श्रीमान् निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,  
जयपुर।

विषय:—तामील नोटिस के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के निर्देशानुसार खण्ड कार्यालय के अधीन विभिन्न सङ्कों पर पूर्व में की गयी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की वाद/रेफरेंस के निपटारे के लिए समन जारी कर प्रकाशन हेतु भिजवाये जा रही है जिनका प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका (दोनों में से किसी भी एक समाचार पत्र में) में केवल एक बार कम से कम स्थान पर प्रकाशन करने का श्रम करें। उक्त विज्ञाप्ति की सोफ्ट प्रति भी संलग्न कर डी.आई.पी.आर. की वेब साईट पर प्रकाशन हेतु भिजवायी जा रही है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा

दिनांक :— 14.05.2025

क्रमांक :—513

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जिला जयपुर।
3. श्रीमान् मुख्य अभियंता सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., संभाग-द्वितीय जयपुर।
5. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त ग्रामीण, जयपुर।
6. सहायक अभियंता, सा.नि.वि., उपखण्ड किरेनवाल।

(जितेन्द्र कुमार मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा

**परिशिष्ट ख**

**आदेशिका**

**संख्यांक 1**

**वाद/रेफरेंस के निपटारे के लिए समन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)  
(शीर्षक)**

क्र. सं.	मुकदमा संख्या	एनसीवी नं.	उनवान	खसरा नं.	पक्षकारों के नाम व पता
1	02/2008	300/2014	एल ए ओ बनाम मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी	435, 436	1. दूदराम, हरिराम, रामू देवा पि गंगू श्रीमति चौथी देवी पत्नी स्व० खींवा, कानाराम, द्वारका प्रसाद पि० स्व० खींवा, जाति कुम्हार निवासी रेनवाल। 2. बृजमोहन, मुनालाल, पि० भूरामल शर्मा पुजारी निवासी रेनवाल।

..... ने अपने विरुद्ध मुआवजा के लिए वाद/रेफरेंस संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 17.05.2025 को दिन में 07.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने/रेफरेंस में कार्यवाही करने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समय किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद / रेफरेंस में संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या उसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। न्यायालय में आपकी उपसंजात के लिए जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिए नियत दिन है, इसलिए आपको उस दिन अपने उन सब साथियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताये गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। करीब 10 साल से आपकी ओर से इस रेफरेंस कार्यवाही में उपस्थिति नहीं दी गई है। अंतिम बार अखबार में प्रकाशन के द्वारा तामील नोटिस के जरिये आपको तलब किया जा रहा है।

यह आज तारीख 07.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

**वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर,  
जिला – जयपुर।**

कृपया ध्यान दें:— 1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार समन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक व्ययों की रकम जमा करके ले सकते हैं।

2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं तो आपको चाहिए कि वाद के खर्च के साथ उस दावे का धन न्यायालय में पेश कर दे जिससे कि बिकी का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।